न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–90/2021

विकमा ठाकुर.....वादी

बनाम

सूदीश ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.03.2024	प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 09.12.2022 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 09.12.2022 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01 अपने परिवार का कर्ता है, जो बराबर घर पर नही रहता है तथा बराबर अपनी रोजी–रोटी के लिए बाहर रह कर काम करता है। घर आने पर जानकारी हुई तो पता चला कि वाद वादी के पक्ष में एक पक्षीय हो गया है। उपस्थित प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 05 का आर्थिक हित जुडा हुआ है। अगर वाद की एक पक्षीय सुनवाई की जाती है तो प्रतिवादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 16.08.2022 के एक पक्षीय आदेश को वापस लेने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादीगणों के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 25.05.2023 को दाखिल कर कहा गया कि आवेदन सही तथ्यों पर आधारित नही होने के कारण पोषणीय नही है। प्रतिवादीगण मुकदमा को लंबा खिचने के उद्देश्य से जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में समय से उपस्थित नही हुए। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 16.08.2022 को समस्त प्रकिया पूर्ण किये जाने के बाद प्रतिवादी सं0–01 ता 05 के विरूद्ध तामिला को सम्पुष्टि मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही हेतु अभिलेख नियत किया गया। दिनांक 09.12.2022 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–90/2021

विकमा ठाकुर.....वादी

बनाम

सूदीश ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.03.2024	प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा एक पक्षीय आदेश को वापस लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 काफी समय के बाद दिनांक 09.12.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 05 का आवेदन मो0–4000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 16.08.2022 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 08.04.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	